न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1005/2024

अनवान : –

1. जयलाल पुत्र हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मनोहरी पत्नी हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. आसी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. गीता पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. कमलेश पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. कमलावती पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. मन्जु पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
8. कविता पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**

श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः- 30/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 4388/53825 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम 1254/53825 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 251/10765 हिस्सा भूमि व मृतक भंवरी पुत्री हरखाराम, मृतक शीला पुत्री हरखाराम के नाम 251/10765 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व भंवरी व शीला के नाम दर्ज है। भंवरी का देहांत हो चुका है। भंवरी के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 है एवं शीला पुत्री हरखा राम का भी देहांत हो चुका है। शीला पुत्री हरखाराम के पति व पुत्र का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण के भानजा व भानजी है ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि में सयुंक्त तौर से वादीगण 3.011 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक भंवरी व शीला का नाम कटवाकर करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र गौरीशंकर व शीला देवी व शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व भंवरी व शीला के नाम दर्ज है। भंवरी का देहांत हो चुका है। भंवरी के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 है एवं शीला पुत्री हरखा राम का भी देहांत हो चुका है। शीला पुत्री हरखाराम के पति व पुत्र का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण के भानजा व भानजी है ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि में सयुंक्त तौर से वादीगण 3.011 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक भंवरी व शीला का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के नाम 4388/53825 हिस्सा भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम 1254/53825 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रत्येक के नाम 251/10765 हिस्सा भूमि व मृतक भंवरी पुत्री हरखाराम, मृतक शीला पुत्री हरखाराम के नाम 251/10765 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व भंवरी व शीला के नाम दर्ज है। भंवरी का देहांत हो चुका है। भंवरी के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 है एवं शीला पुत्री हरखा राम का भी देहांत हो चुका है। शीला पुत्री हरखाराम के पति व पुत्र का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण के भानजा व भानजी है ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि में सयुंक्त तौर से वादीगण 3.011 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक भंवरी व शीला का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार हरखाराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक भंवरी व शीला का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को संयुक्त तौर से 3.011 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1005/2024
अनवान : –

1. जयलाल पुत्र हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. रामप्रताप पुत्र हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मनोहरी पत्नी हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
2. आसी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
3. गीता पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
4. कमलेश पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
5. कमलावती पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
6. मन्जु पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
7. सावित्री पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
8. कविता पुत्री भंवरी पुत्री हरखा राम जाति नायक निवासी खुंईया तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1005 सन 2024 निर्णय दिनांक –30/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 230/223 की कुल 10.7650 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व मृतक भंवरी व शीला का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को संयुक्त तौर से 3.011 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested